झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
एवं
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएँ

केवल जागरूकता के लिए

कहाँ सम्पर्क करें :

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची
(0651-2482392, 2482030)
www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com
झारखण्ड राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार
झारखण्ड एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, डोरण्डा, राँची
उद्योग विभाग, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची
मतस्य विभाग, डोरण्डा, राँची
स्वास्थ्य विभाग, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

प्रकाशन वर्ष : 2017
यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

1. ग्रामीण महिलाओं के लिए उज्जवला योजना

गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत की है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म इंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

पात्रता

- योजना का लाभ लेने के लिए वैसे बीपीएल परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, ऐसे परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी वितरण केंद्र में जमा कर सकती हैं।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत तीन साल में 6.60 लाख परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें एक वर्ष में दो लाख 26 हजार और आगामी तीन साल में छह लाख गैस सिलेंडर और चूल्हा केंद्र सरकार की मदद से झारखंड सरकार राज्य की माताओं और बहनों को देगी। आवेदन के समय आवेदक दो सिलेंडर विकल्पों-14.2 किलो और पांच किलो में से किसी एक का चुनाव कर सकती हैं। योजना में सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रेशर रेग्यूलेटर, डीजीसीसी, सुरक्षा होज और इंस्टालेशन व प्रबंधन चार्ज भी कवर किया गया है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना

पात्रता

- बी.पी.एल. परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्त्ता जिनकी मृत्यु 18-59 वर्ष के बीच होती है।

योजना का लाभ

- आश्रितों को एक मुश्त 20,000/- रूपये का लाभ इस योजना के अर्न्तगत मिलता है।

3. आम आदमी बीमा योजना

पात्रता

- ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्त्ता जिनकी मृत्यु 18-19 वर्ष के बीच हो बीमा किया जाता है।
- जिसकी पास भूमि मिलाकर 50% से कम हो बीमा किया जाता है।

योजना का लाभ

- बीमित व्यक्ति के स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/- रूपये की राशि उसके आश्रितों को दी जाती है।
- दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होन पर अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उन्हें 75,000/- की दर से राशि दी जाती है।
- आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,000/- की राशि दी जाती है।
- दो बच्चों को जो कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं अथवा ITI में पढ़ते हैं 4 वर्ष के लिए 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृति दी जाती है।
- इस योजना के लिए बीमित व्यक्तियों को कोई राशि नहीं देनी होती है।

4. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना

पात्रता

- इस योजना का लाभ केवल बी.पी.एल. सूची में दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जाता है।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60-69 वर्ष के बीच है तथा जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में अंकित है।

योजना का लाभ

- 600/- रू0 प्रति माह की दर से 60-69 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के व्यक्ति को दी जाती है।
- जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है को 700/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

पात्रता

- निर्बंधित बी.पी.एल., घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेण्डर, मनरेगा भवन निर्माण मजदूर, सफाईकर्मी, टैक्सी रिक्सा ऑटो चालक, बीड़ी मजदूर, आदि।

- मुखिया सहित पाँच सदस्यों को

योजना का लाभ

- योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने पर वार्षिक 30,000/- तक का ईलाज नि:शुल्क।
- लाभुकों के अस्पताल आने-जाने के लिए प्रति बार 100/- एवं अधिकतम वार्षिक 1000/- का भुगतान अस्पताल के द्वारा।

6. बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। इसके तहत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में एक हजार से लेकर एक लाख पचास हजार रूपए जमा करा सकते हैं। यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही परिपक्व होगा।

पात्रता

- इसके लिए बच्ची की उम्र दस साल से कम होनी चाहिए।

योजना का लाभ

- इस योजना में बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं। वहीं अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट उसी वक्त बंद हो जायेगा। अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रूपये की पैनल्टी लगाई जायेगी।
- Maturity amount is fully taxfree. Interest is higher than any other scheme. Better than PPF scheme.

7. मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित या निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या या विधवा या परित्याक्ता के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

- इस योजना के तहत विवाह के अवसर पर कन्याओं के गृहस्थ जीवन संबंधी आधारभूत सामग्रियां दी जाती हैं।

पात्रता

- यह सहायता सामूहिक विवाह में ही दी जाती है। इसकी शर्त यह है कि कन्या ने विवाह की निर्धारित आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता कन्या की गृहस्थी की व्यवस्था के लिये दी जाती है।

गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, यहां तक की उसकी शादी तक के लिए धन राशि संरक्षित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत हुई। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में संबंधित सेविका से फार्म प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म व आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगें।

पात्रता

- जिनके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे अथवा वार्षिक आय 72 हजार रूपये से अधिक ना हो। अधिकतम दो बच्चों के बाद दंपत्ति द्वारा परिवार नियोजन अपनायी गयी हो। बालिका का जन्म 15 नवंबर 2010 या इसके बाद का हो।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत बच्ची के जन्म से लेकर पांच वर्षों तक हर साल छह हजार रूपये बच्ची के खाते में सरकार निवेश करेगी। एक निश्चित राशि से डाकघर में बच्ची के नाम से अकाउंट खुलेगा। बालिका जब छठी कक्षा में प्रवेश करेगी, उसे दो हजार रूपये और नौवीं में प्रवेश करने पर चार हजार रूपये का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसी तरह 11वीं में पहुंचने पर 7500 रूपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में इन बच्चियों को अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह बतौर छात्रवृत्ति दो

सौ रूपये मिलेंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष होने और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर उसे एकमुश्त एक लाख आठ हजार छह सौ रूपये दिए जायेंगे, बशर्ते उसकी शादी 18 वर्ष के बाद हुई हो।

8. हस्तकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना

पात्रता

- यह योजना बुनकरों के लिए है और बुनकर ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत् एक बुनकर परिवार के पति-पत्नी एवं दो बच्चों समेत कुल चार व्यक्तियों को बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 15,000/- रू0 तक की राशि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें से मात्र 50/- रू0 अनुदान के रूप में बुनकर को देना पड़ता है।

9. स्वास्थ्य बीमा योजना

पात्रता

- राज्य के सभी हस्तकरघा बुनकर जिनकी कुल आय का कम से कम 50% हस्तकरघा बुनाई से अर्जित करता हो।
- भारत सरकार द्वारा निर्गत बुनकर पहचान पत्र/स्वास्थ्य बीमा कार्ड/उद्योग विभाग/झारक्राफ्ट द्वारा प्रमाणित हस्तकरघा बुनकर।
- हस्तकरघा सहकारी समिति के नियमित सदस्य।

योजना का लाभ

- बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत प्रति बुनकर परिवार को 15000/- रू0 तक की वार्षिक स्वास्थ्य सुविधा निम्नवत् उपलब्ध करायी जाती है -
  1. सभी पूर्वव्यापी बीमारियाँ एवं नई बिमारियाँ में-15000/- रू0
  2. प्रसूति लाभ पहले दो बच्चों के लिए - 2500/- रू0
  3. दन्त उपचार - 250/- रू0
  4. नेत्र उपचार - 75/- रू0
  5. चश्मा - 250-/ रू0
  6. अस्पताल में भर्ती इलाज - 4000/- रू0
  7. आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/सिद्ध - 4000/- रू0
  8. शिशु संरक्षण - 500/- रू0
  9. ओ.पी.डी. - 7500/- रू0

10. महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

पात्रता

- राज्य के सभी हस्तकरघा बनुकर जिनकी कुल आय का कम से कम 50% हस्तकरघा बुनाई से अर्जित होता हो।
- भारत सरकार द्वारा निर्गत बुनकर पहचान पत्र/स्वास्थ्य बीमा कार्ड/उद्योग विभाग/झारक्राफ्ट द्वारा प्रमाणित हस्तकरघा बुनकर।
- हस्तकरघा सहकारी समिति के नियमित सदस्य।
- 18 से 59 वर्ष से सभी हस्तकरघा बुनकर इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

योजना का लाभ

- स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में - 60000/- रू0 दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति/पूर्ण अपंगता की स्थिति में - 150000/- रू0 दुर्घटना आंशिक अपंगता की स्थिति में - 75000/- रू0

11. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम

पात्रता

- योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जो मछली पकड़ने, मछली पालने, मत्स्य बीज उत्पादन, प्रशिक्षण आदि मछली से जुड़े कार्यक्रमों में संलग्न हों तथा जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो।

योजना का लाभ

- बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को मो. 2.00 लाख रू0 का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/फिश्कोप्फेड, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर भी उनके वैध आश्रितों/बीमित को मो0 2.00 लाख रू0 का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/ फिश्कोप्फेड, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में आंशिक स्थयी अपंगता होने पर बीमित को मो0 1.00 लाख रू0 का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/फिश्कोप्फेड, भारत सरकार द्व ारा किया जाता है।
- बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में मो0 10,000/- रू0 का अस्पताल व्यय की भी अनुमान्यता इस वर्ष शुरू की गई है।

12. स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत पांच साल से अधिक बच्चे-बच्चियों या लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लाभांवितों के चयन के लिए प्रत्येक जिले के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

पात्रता

- जिला चिकित्सा पर्षद द्वारा नि:शक्त प्रमाण पत्र निर्गत वाले लाभांवितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें उसके माता-पिता या अभिभावक की आय आयकर की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों, केंद्र एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं का सेवा कर्मी नहीं हो।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत लाभांवितों को छह सौ रूपये प्रति नि:शक्त व्यक्ति को प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है। इस राशि का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है, जबकि नाबालिग तथा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भुगतान उन्हें किया जाता है जिन पर वे आश्रित हैं।

13. जनश्री बीमा योजना

पात्रता

- निर्बंधित लाभुक

योजना का लाभ

- बोर्ड द्वारा LIC के सहयोग से सामुहिक बीमा योजना का लाभ, नोडल एजेन्सी के रूप में 100/- वार्षिक प्रीमियम राशि का भुगतान।
- सामान्य मृत्यु दर पर - 30,000/-
- दुर्घटना से मृत्यु - 75,000/-
- दुर्घटना से स्थायी व पूर्ण अशक्तता होने पर - 75,000/-
- दुर्घटना से दो आँखों या दो अंगों की हानि - 75,000/-
- दुर्घटना से एक आँख या एक अंग की हानि - 37,500/-
- शिक्षा सहयोग योजना में लाभुकों के कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा (I.T.I. कोर्स समेत) में अध्ययनरत दो बच्चों को रूपये 100/- प्रतिमाह की दर छात्रवृत्ति देय होगी।

14. चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति योजना

पात्रता

- निर्बंधित लाभुक एवं उसका परिवार
- गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग (शल्यक्रिया सहित), गुर्दा रोग (शल्यक्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्यक्रिया सहित) एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, मेजर वेस्कुलर डिजीज, बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, हेपाटोमा, एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटीनल डिटाचमेंट, प्रोलिफरेटिव डाईबेटिक रेटिनोपैथी, रेटीनल आर्टरी ऑक्लूजन, ईल्स डिजीज, मैकुलर होल से पीड़ित हों।
- जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के उपरांत योजनान्तर्गत लाभ देय होंगे।

योजना का लाभ

- एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ।
- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण द्वारा समय-समय पर रोगों की सूची, चिकित्सीय व्यय की अधिकतम अधिसीमा तथा सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किये गये संशोधन/परिमार्जन Mutatis - Mutandis

15. मेघावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

- निर्बंधित लाभुकों के बच्चों के लिए।
- लाभुकों के दो मेधावी संतानों के लिए।
- कक्षा एक (1) से पांचवीं (5) तक सभी श्रेणी के छात्रों को।
- कक्षा 6वीं से उपर की कक्षा में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।
- स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में अध्ययनरत होने पर छात्रवृत्ति या संबंधित संस्थान की वास्तविक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति, दोनों में से जो अधिक हो। साथ ही एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी।
- अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लिया हो।

योजना का लाभ

क्र. स.	कक्षावार विवरण	योजना का लाभ	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5वीं तक (के सभी छात्रों को)	500/-	750/-
2.	कक्षा 6 से 8वीं	750/-	1000/-
3.	कक्षा 9 से 12वीं	1000/-	1500/-
4.	स्नातक कक्षा यथा बी0ए0, बी0एस0सी0 बी0कॉम0, डिप्लोमा आदि	1500/-	2500/-
5.	स्नातकोत्तर कक्षा यथा एम.ए., एम. एस.सी., एम.कॉम., स्नातकोत्तर, डिप्लोमा इत्यादि	2500/-	3000/-
6.	स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर)	3000/-	4000/-
7.	इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में	10000/-	15000/-

16. किशोरी शक्ति योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अविवाहित तथा स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों में आत्मविश्वास, उत्साह एवं आत्मगौरव की भावना को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

पात्रता

- इसके तहत चौसठ सौ रूपये प्रति वर्ष से भी कम आय वाले परिवारों की 11-15 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सभी आय स्तरों के परिवारों की 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की छोटी बालिकाओं को भी प्राथमिकता दी गयी है।

योजना का लाभ

- इन किशोरियों को स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों में छह माह तक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों में शामिल किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में किशोरियों का खानपान, शारीरिक परिवर्तन की सही सोच, मासिक धर्म की व्यवस्था, सही उम्र में विवाह, एड्स से बचाव एवं स्थानीय उपलब्ध संतुलित आहार, आइरन टेबलेट के उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी जाती है।

17. बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना

पात्रता

- NCLP विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे।

योजना का लाभ

- राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी, ड्रेस, स्कूल बैग, जूता-मोजा, बेल्ट, टाई, परिचय-पत्र, स्वेटर, रेनकोट एवं 100/- छात्रवृत्ति वितरण हेतु रूपये 1000/- प्रति बच्चे के लिए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, एन.सी.एल.पीको बोर्ड द्वारा राशि आवंटित की जाती है।

18. रोजगार प्रशिक्षण योजना

पात्रता

- निर्बंधित लाभुकों के परिवार के अधिकतम दो (पति/पत्नी तथा पुत्र/पुत्री) को उनकी इच्छा, योग्यता तथा स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के आधार पर।

योजना का लाभ

- बोर्ड द्वारा लाभुकों के नियोजन हेतु वांछित कुशलता में वृद्धि के लिए भारत सरकार के MES योजना के अन्तर्गत झारखण्ड में उपलब्ध VTPs में अर्हताप्राप्त लाभुकों को प्रशिक्षण। प्रशिक्षा अवधि में अकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजनादि की व्यवस्था।
- झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित राँची एवं दुमका अवस्थित टूल रूम में 4 (चार) पाठ्यक्रमों-यथा
  - (i) Fitter Technology,
  - (ii) Welding Technology,
  - (iii) Programming & Operation of CNC Lathe एवं
  - (iv) Inspection and Quality Control में अर्हता प्राप्त लाभुकों को प्रशिक्षण की सुविधा।
- बोर्ड के द्वारा लाभुकों के कुशलता उन्नयन हेतु योजना आयोग के एक अंग C.I.D.C. के साथ MOU हस्ताक्षरित, जिसके तहत Masoin, Carpenter सहित 50 पाठ्यक्रमों में लाभुकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

19. दिव्यांगों के लिए छात्रावृत्ति योजना

पात्रता

- सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है।

योजना का लाभ

- इसके तहत वर्ग एक से आठ तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को 50 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ग नौ से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 250 रूपये प्रतिमाह और स्नातक से ऊपर स्नातकोतर छात्रों को 260 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही सरकारी आवासीय विद्यालयों में पढ़नेवाले वर्ग एक से आठ तक विद्यार्थियों को एक सौ रूपये प्रतिमाह प्रतिछात्र छात्रवृत्ति भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा विशेष रूप से केवल दिव्यांगों के लिए किसी स्कूल का संचालन किया जा रहा हो, तो उसमें पढ़नेवाले नेत्रहीन, मूकबधिर, मंदबुद्धि एवं अन्य कारणों से दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को ट्रायसाइकिल या बैसाखी एवं कृत्रिम अंग-प्रत्यंग के माध्यम से हाथ व पैर का निर्माण कराकर वितरण भी किया जाता है।

20. जननी सुरक्षा योजना

पात्रता

- सभी गर्भवती महिलाएं
- सभी गर्भवती महिलाएं जो BPL श्रेणी में आती है। जिनका प्रसव घर में SBA Trainded ANM द्वारा कराया गया है।

योजना का लाभ

- सरकारी अस्पताल अथवा चुने हुये निजी अस्पताल (Private Accredited Hospital) में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र में 1000/- रूपया एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1400/- का लाभ देय होगा।
- 500/- रू0 का लाभ देय होगा।

- **अब इस योजना का लाभ मोबाइल पर** – इसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले 1750 रूपये उन्हें मोबाइल के जरिये प्रसव के कुछ घंटों बाद ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इसके तहत सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर केंद्र के प्रभारी हासिल करेंगे। प्रसव के तत्काल बाद केंद्र के प्रभारी एक अधिकृत ई-मेल आईडी से मेल करेंगे कि संबंधित महिला ने यहां प्रसव कराया है। मेल में उसके द्वारा उपलब्ध कराये ये मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा। वोडाफोन कंपनी इसके बाद उस महिला के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजेगी कि उसे कंपनी की ओर से जननी सुरक्षा योजना के तहत 1750 रूपये उपलब्ध कराया जायेगा। इस मैसेज के साथ मोबाइल लेकर वह महिला अथवा उसके परिजन वोडाफोन के किसी भी रिटेलर के पास जायेंगे और मैसेज व उसमें दिया गया विशेष कोड दिखाकर राशि हासिल कर सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया प्रसव के कुछ ही घंटों के दौरान पूरी की जायेगी।

21. चिकित्सा सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित श्रमिक
- पाँच या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर।

योजना का लाभ

- अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु विहित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
- अधिकतम 40 कार्यदिवस के समतुल्य भुगतान।

22. विवाह सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित लाभुक
- पाँच वर्षों तक लगातार अंशदान करने पर

योजना का लाभ

- दो संतानों के विवाह हेतु 50000/- रूपये की सहायता।

23. विधवाओं के लिए भीमराव आवास योजना

राज्य की विधवाओं को समाज में समानता और सदभाव बनायें रखना तथा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भीमराव आवास योजना की शुरूआत हुई। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभुकों का चयन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

पात्रता

- 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवासविहिन विधवा मुखिया वाला परिवार 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा मुखिया वाला परिवार, जिनका एक कमरे का कच्चा आवास एवं मासिक आय पांच हजार रूपये से कम हो।

योजना का लाभ

- राज्य सरकार विधवाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75 हजार रूपये और मैदानी क्षेत्रों के लिए 70 हजार रूपये निर्धारित की है। यह राशि लाभार्थी को उसके बैंक खातों में तीन किश्तों में दी जायेगी। इसके अलावा विधवाओं का पेंशन देने की भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है।

24. निःशक्तता पेंशन

पात्रता

- निबंधित लाभुक
- वैसे लाभुक जो कि पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो।

योजना का लाभ

- निःशक्तता पेंशन-500 रूपये प्रतिमाह
- अनुग्रह राशि - 10,000 एकमुश्त रूप में भुगतान।

25. पारिवारिक पेंशन योजना

पात्रता

- पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को

योजना का लाभ

- पेंशन का 50% या 300/- रूपया अधिकतम का भुगतान।

26. अनाथ पेंशन

पात्रता

- लाभुक / पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर

योजना का लाभ

- पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा

27. मातृत्व प्रसुविध योजना

पात्रता

- निबंधित महिला लाभुक
- प्रथम दो प्रसुतियों के लिए

योजना का लाभ

- 6 सप्ताह के अकुशल श्रमिकों के लिए देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।

28. राष्ट्रीय पेंशन योजना

पात्रता

- निबंधित लाभुक

योजना का लाभ

- प्रति वर्ष लाभुक इस योजना में 1000/- रू0 का निवेश बोर्ड द्वारा।
- लाभुक द्वारा कम से कम 1000/- व अधिकतम 12000/- के अंशदान पर भारत सरकार द्वारा भी 1000/- प्रति लाभुक प्रति वर्ष देय होगा।

29. सिलाई मशीन सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित 35-60 वर्ष के आयुवर्ग की महिला श्रमिक
- साइकिल सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा उन्होंने अगले वर्ष का अपना अंशदान जमा कर दिया हों।

योजना का लाभ

- प्रशिक्षणोपरान्त सफल लाभुकों को पात्रता के अनुरूप सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ

30. साईकिल सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित महिला एवं पुरूष श्रमिक।
- महिला लाभुकों के द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों एवं उन्होंने अगले एक वर्ष का अंशदान जमा किया हो।
- अन्य किसी योजना का साइकिल नहीं प्राप्त किया हो।

योजना का लाभ

- पात्रता के अनुरूप साइकिल सहायता योजना का लाभ।

31. झारखंड कौशल विकास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण करना तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

पात्रता

- ऐसे युवाओं के लिए यह योजना है, जो किसी रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़े हुए ना हों
- राज्य के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था
- ऐसे युवा, जो औपचारिक शिक्षा छोड़ चुके हों

- हुनर पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण होगा, यह आधार नंबर से जुड़ा होगा
- हुनर पोर्टल में पंजीयन कराने पर एक विशेष पहचान संख्या मिलेगी

योजना का लाभ

- इसके तहत युवाओं को न्यूनतम दो सौ घंटे का कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। हर प्रशिक्षु की न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। यह गैर आवासीय प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन और उसके बाद प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।

32. श्रमिक औजार सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित श्रमिक
- आयु 18 वर्ष से अधिक
- निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जैसे राजमिस्त्री,इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि प्रकार के ट्रेड के लाभुकों को योजना का लाभ देय होगा।
- लाभुक द्वारा किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार-किट प्राप्त नहीं किया गया हो।
- निबंधन के उपरांत तीन माह के भीतर

योजना का लाभ

- पात्रता के अनुरूप औजार किट का लाभ

33. सरस्वती योजना

पात्रता

- लाभार्थी के माता/पिता बोर्ड के निबंधित सदस्य हों।
- लाभुक के दो बच्चों के परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम पुत्री या द्वितीय पुत्री अथवा दोनों प्रसवों से उत्पन्न बच्ची (अधिकतम दो बालिकाओं के लिए।)
- जुड़वाँ प्रसव होने पर दोनों बालिकाओं के लिए मान्य।
- जन्म के दो वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य। अनाथ बालिका की स्थिति में जन्म के पाँच साल तक पंजीकरण मान्य।
- मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभुक योजना के हकदार नहीं।

योजना का लाभ

- निबंधित लाभुकों के परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न दो बालिकाओं को जन्म के वर्ष से लेकर लगातार पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 5000/- रू0 की दर से यानि कुल पाँच वर्षों में कुल 25,000/- रू0 डाक जमा योजना में विनियोग

34. चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति योजना

पात्रता

- निबंधित लाभुक एवं उसका परिवार
- गंभीर बीमारी यथा हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी, एड्स आदि से पीड़ित हों।
- मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के साथ चिकित्सा हेतु अनुमोदित व्यय को चिकित्सक अस्पताल से प्रतिहस्ताक्षरित कर आवेदन।

योजना का लाभ

- से लाभ लेने के बाद शेष राशि का सम्पूर्ण चिकित्सीय व्यय (जिसमें अस्पताल में भर्ती तथा दवा का खर्च) का वहन बोर्ड के द्वारा।

35. अंत्येष्टि सहायता योजना

पात्रता

- निबंधित लाभुक

योजना का लाभ

- मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 5000/- रूपये का भुगतान परिवार के सदस्यों को।

36. पेंशन योजना

पात्रता

- निबंधित लाभुक
- तीन वर्षों तक बोर्ड में अंशदान किया हो।
- 60 वर्ष की समप्ति पर

योजना का लाभ

- 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में।
- पाँच वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 25/- रूपये की वृद्धि होगी।

37. अनाथ पेंशन

पात्रता

- लाभुक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर

योजना का लाभ

- पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा।

38. सिदो–कान्हू आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णत: अनुदान पर आधारित सिदो कान्हू आवास योजना की शुरूआत राज्य सरकार ने की है।

पात्रता

- चयनित गांवों में परिवारों की संख्या 50 से कम न हो तथा इसकी जनसंख्या 200 से कम न हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो। इंदिरा आवास/दीनदयाल या किसी भी प्रकार की सरकारी आवास योजना का लाभ लेने वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही होता है। इसमें न्यूनतम राशि सफाई की व्यवस्था मुख्य है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत प्रति आवास 45 हजार रूपये की मानक दर पर राशि उपलब्ध करायी जाती है तथा लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के माध्यम से कराया जाता है।

39. ग्रामीण युवाओं के लिए आर्या योजना

एट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर यानी आर्या के तहत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा प्रशिक्षण (आत्मा) जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक गांव के युवकों को जोड़ा जायेगा। प्रशिक्षण के बाद युवकों से गांव में ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए सेवा ली जायेगी।

पात्रता

- आर्या कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव से दो युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। गांव की परती भूमि को चिहिनत कर उसे कृषि योग्य बनाने तथा किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जायेगा।

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पलायन करने वाले युवाओं को उनके ही गांव में कृषि आधाारित रोजगार एवं नियमित आय मिल सके। इस दौरान युवाओं का एक नेटवर्क स्थापित होगा, ताकि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), विपणन (मार्केटिंग) एवं मूल्य संवर्द्धन (वेल्यू एडिशन) जैसे कार्यों को गति दी जा सके। वहीं करीब आठ से दस लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तैयार की जायगी। साथ ही दलहन की खेती को बढ़ावा देते हुए साल में दो फसलों से किसानों में खुशहाली लाने की योजना है।

40. परंपरागत कृषि विकास योजना

इस योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और कर-विक्रय को प्रोत्साहन करना है। इसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया जाता है। इस योजना को अपनाकर किसान पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपना कर खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि को लाभकारी बनाते हुए कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना है।

योजना का लाभ

- जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलस्टर आधारित परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरूआत हुई। इस योजना के तहत जैविक खेती शुरू करने के लिए 50 या उससे अधिक किसानों का एक क्लस्टर बनायेंगे, जिनके पास 50 एकड़ भूमि हो। इस तरह तीन वर्षों के दौरान जैविक खेती के तहत 10 हजार क्लस्टर बनाये जायेंगे, जो पांच लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेंगे, वहीं फसलों की पैदावार के लिए बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए हर किसान को तीन वर्षों में प्रति एकड़ 20 हजार रूपये दिये जायेंगे।

41. मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना

राज्य में अति कुपोषित बच्चों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना की शुरूआत हुई। इस योजना के तहत अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर, इन बच्चों को समुदाय स्तर पर चिकित्सा, पोषण एवं प्रशिक्षण देना है ताकि राज्य में बच्चों की मृत्यु दर घट सके।

योजना का लाभ

- इसके पहले चरण में सभी जिलों में अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें निकटतम एमटीसी या एमटीइसी में भर्ती करा कर उपचार की व्यवस्था करना और कम कुपोषित बच्चों को निकटतम एमटीसी या एमटीइसी में भर्ती करा कर उपचार की व्यवस्था करना और कम कुपोषित बच्चों को सामुदायिक केंद्र पर उपचार करने की व्यवस्था की है। साथ ही बच्चे कुपोषित नहीं हों इसके संबंध में समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाये। ग्राम स्तर से लेकर समुदाय स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।
- इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाना, ताकि वो कुपोषित बच्चों या बीमार बच्चे की पहचान कर सके। इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी सेविका की तरह सहिया को पोषण मित्र के रूप में प्रचारित भी किया जायेगा। इस योजना के तहत पंचायत प्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गयी है। इन प्रतिनिधियों का सहयोग प्रत्येक स्तर पर होगा, जिसकी शुरूआत राज्य स्तर से होगी, फिर जिला, प्रखंड, संकुल एवं पंचायत स्तर तक होगी।

❑❑❑

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न निम्नांकित श्रेणी के श्रमिक

पत्थर काटने, तोड़ने व पिसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाले, पुताई करने वाले, बढ़ई, फिटर या बारबेंडर, सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेकेनिक, कुँआ खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मिक्सर मैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुँए से तलछट हटाने वाले, हथौड़ा चलाने वाले छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीड़ने वाले, कॉलकर, मिश्रण करने वाले, पम्प ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे-मशीनरी, पूल का कार्य आदि में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाईक पॉलिस करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार चट्टान तोड़ने वाले, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी कार्य करने वाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, बाढ़ नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, बांध, पूल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार इत्यादि।

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए सम्बंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन, डोरण्डा, राँची (0651-2482392) Web. : www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com फैक्स : 0651-2482397(जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क किया जा सकता है।

सूचना : यह सामग्री केवल जन-जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।